



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 471 राँची, मंगलवार,

8 अगस्त, 2023 (ई०)

#### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

अधिसूचना

26 जुलाई, 2023

**संख्या-1(निदे०अभि०) नि० प्रारूपक-17/2015-2454--** भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय) के अन्तर्गत अधिसूचित "झारखण्ड राज्य के सभी बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017" (यथा संशोधित, 2020, 2021) में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

- (1) यह नियमावली " झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023" कहलाएगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के बन्दोबस्त कार्यालयों के लिए लागू होगा ।
- (3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. (I) झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-4 (ख) (i), अनिवार्य योग्यता, को संशोधित करते हुए निम्न प्रावधान का प्रतिस्थापन किया जाता है :-

“अनिवार्य योग्यता :- सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भर्ती/नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडियेट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियेट या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैन सिविल/मैकेनिकल ट्रेड का प्रमाण पत्र धारी होना अनिवार्य है। बंदोबस्त कार्यालय में से कम से कम 10 (दस) वर्षों की उजरत भोगी सेवा अथवा दस (10) वर्षों की समूह 'घ' की सेवा देने वाले अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडियेट या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैन सिविल/मैकेनिकल ट्रेड का प्रमाण पत्र धारी होना अनिवार्य है। आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(II) झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017(समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-4 (ख) (iii) को संशोधित करते हुए निम्न प्रावधान का प्रतिस्थापन किया जाता है :-

“ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियेट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 एवं यथा संशोधित नियमावली, 2016 तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियेट/10+2) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रावधानों अथवा समय समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इंटरमीडियेट/10+2 योग्यता वाले पदों से संबंधित निर्गत होने वाले संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार प्रारूपक पदों पर नियुक्ति परीक्षा का संचालन किया जायेगा।

प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली के प्रावधानों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित उक्त परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों के विरोधाभासी/प्रतिकूल होने की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे।”

3. झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017(यथा संशोधित, 2020, 2021) को इस हद तक संशोधित किया जाता है। नियमावली के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

4. विभागीय संलेख जापांक-281/निरा. दिनांक-07.07.2023 के द्वारा “ बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023” के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-11.07.2023 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अमिताभ कौशल,**  
सरकार के सचिव।

-----